

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16042022-235160
SG-DL-E-16042022-235160

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 21
No. 238]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944	[N. C. T. D. No. 21

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-I (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

अधिप्रमाणित
(नित्यानंद रा.)
राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सं.फा. 16/25/2020/गृह-पुलिस-I/स्था./185 से 191.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा- (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जायेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. संशोधन :-

उक्त नियमावली में, नियम 17-ख (xix), दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के प्रधान सिपाही (बढ़ई) पद के संबंध में है।

- (1) "वेतनमान" के संबंध में, कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'वेतन मैट्रिक्स में वेतन-स्तर' --- स्तर-4 (रुपये 25,500-81,100/-)

- (2) "यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।" के संबंध में कॉलम के सामने प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

'विभागीय पदोन्नति समिति' (पदोन्नति पर विचारार्थ) में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-

(i) एक संयुक्त पुलिस आयुक्त (अध्यक्ष)

(ii) दो पुलिस उपायुक्त (सदस्य)

(पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा नामित।)

'विभागीय स्थायीकरण समिति' (स्थायीकरण पर विचारार्थ) में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-

(i) एक पुलिस उपायुक्त (अध्यक्ष)

(ii) दो सहायक पुलिस आयुक्त (सदस्य)

(संबंधित जिलों/इकाईयों से)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप-सचिव (गृह-1)

टिप्पणी : दिनांक 31.12.1980 की अधिसूचना संख्या एफ.10/52/80-गृह (पुलिस)/स्था0 (1) द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के प्रधान नियम प्रकाशित हुए और (i) दिनांक 31.07.1986 की अधिसूचना संख्या एफ. 5/46/84-गृह (पुलिस)/स्था0 तथा (ii) दिनांक 09.01.2013 की अधिसूचना संख्या एफ.13/23/2003-गृह पुलिस-1/स्था0/6735-40 द्वारा आगे संशोधित किए गए।

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT.

NOTIFICATION

Delhi, the 12th April, 2022

AUTHENTICATED

(J) NITYANAND RAI
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

No. F. 16/25/2020/HP-1/Estt./185 to 191.—In exercise of the powers conferred by sub-sections-(1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

1. Short title and commencement:

(1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendments:

In the said Rules, in Rule 17-B-(xix) relating to the post of Head Constable (Carpenter) of Communication Unit in Delhi Police.

(1) For the entry in the column, relating to the "Scale of Pay", the following entry shall be substituted, namely:-

'Pay Level in the Pay Matrix' --- Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)

(2) For the entry against the column, relating to the "If a DPC exists, what is its composition", the following entry shall be substituted, namely:-

'Departmental Promotion Committee' (for considering promotion) consisting of:-

(i) One Joint Commissioner of Police (Chairman)

(ii) Two Deputy Commissioners of Police (Members)

(To be nominated by the Commissioner of Police, Delhi).

'Departmental Confirmation Committee' (for considering confirmation) consisting of:-

- (i) One Deputy Commissioner of Police (Chairman)
 - (ii) Two Assistant Commissioners of Police (Members)
- (From the districts/units concerned).

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (HOME-1)

Note : The Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 vide Notification No.F.10/52/80-Home (Police)/Estt.(1) dated 31.12.1980 and further amended vide (i) Notification No. F.5/46/84-Home (P)/Estt. dated 31.07.1986 (ii) Notification No. F.13/23/2003/HP-1/Estt./6735-40 dated 09.01.2013.